संख्या–3ए–3–भत्ता–01 / 2022–..........3353.........../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:–..11/04/2023..

विषयः– **सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक–01/01/2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प सं०–9730/वि०, दिनांक–18/10/2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक–01/07/2022 के प्रभाव से 38% प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/1/2023-E-II(B), दिनांक–03/04/2023 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक–01/01/2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 38% से बढ़ाकर 42% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि–

(i) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए दिनांक–01/01/2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 38% प्रतिशत से बढ़ाकर 42% करने की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान दिनांक–01/01/2023 के प्रभाव से किया जाएगा।

(iii) सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे–मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

5. उक्त वर्धित दर से महंगाई भत्ता की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2023 के वेतन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में वर्धित दर से महँगाई भत्ता, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

11/4/2023